

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2012—वैशाख 7, शक 1934

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-524-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 7 मई से 8 जून 2012 तक तैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ-साथ दिनांक 6 मई 2012 एवं 9, 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-544-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रवीण गर्ग, आयएस., आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएस., कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-674-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 9 से 16 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश की अवधि में श्री दीपक खाण्डेकर, आयएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, खनिज साधन विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक खाण्डेकर, खनिज साधन विभाग के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-425-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएस., प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल (मध्यप्रदेश), ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 एवं 21, 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल (मध्यप्रदेश), ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-836-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 16 अप्रैल से 18 मई 2012 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 एवं 19, 20 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्रीमती रेणू पंत, आयएस., संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का प्रभार भी सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रेणू पंत, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगीं।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-872-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2011 एवं 21, 22 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-1-255-2011-5-एक.—राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017-49-2011-एआईएस-1, दिनांक 11 अप्रैल 2012 द्वारा अनुमोदन उपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) के अंतर्गत डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे (मध्यप्रदेश 1999) कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा की सेवाएं मध्यप्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी (AGMUT) संवर्ग में डिप्टी कमिश्नर, मिन्सुसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सौंपी जाती है।

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. ई-1-386-2012-5-एक.—भारत सरकार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/45/2011—एआईएस—I, दिनांक 14 मार्च 2012

द्वारा सुश्री शनमुगा प्रिया आर. भाप्रसे (2010) की सेवाएं तमिलनाडू संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. एफ 3-6-2011-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई प्रक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर 2011 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल 2012 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पंत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-870-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अविनाश लवानिया, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, महु, जिला इन्दौर को दिनांक 2 से 10 फरवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, महु, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. ई-1-137-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से. के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अजिता वाजपेई पाण्डे (1981) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का अतिरिक्त प्रभार.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	-
2	श्रीमती अमिता शर्मा (1981) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा साप्रवि (कार्मिक).	विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार [अवकाश से लौटने पर तथा श्री अनिल जैन, भाप्रसे (86) विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश, नई दिल्ली की सेवाएं, भारत सरकार को सौंपे जाने पर].	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3	श्री डी. के. सामंतरे (1982), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	-
4	श्रीमती सुरजना रे (1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग तक प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.	-
5	श्री बी. पी. सिंह (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
6	श्रीमती विजया श्रीवास्तव (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	-
7	श्री दीपक खाण्डेकर (1985) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.	वि.क.अ.-सह-कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8	श्री मनोज श्रीवास्तव (1987) राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
9	श्री प्रवीर कृष्ण (1987) भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	-
10	श्री संजय सिंह (1987), प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	-
11	श्री शैलेन्द्र सिंह (1988), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
12	श्री जे. एन. कंसोटिया (1989), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	-
13	श्री एस. के. मिश्रा (1991) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.	-
14	डॉ. रवीन्द्र पस्तौर (1992) कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम).	संभागीय कमिश्नर
15	डॉ. मनोहर अगनानी (1993) मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम).	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश	-
16	श्री मनीष रस्तोगी (1994) अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, जबलपुर.	आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
17	श्री सुखवीर सिंह (1997), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, जबलपुर.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
18	श्री अमित राठौर (1996), संचालक बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	-
19	श्री महेशचन्द्र चौधरी, भाप्रसे आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन.	कलेक्टर छिन्दवाड़ा.	-

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982), सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे (1991) द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे (1982) प्रमुख सचिव, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(5) उपरोक्तानुसार श्री संजय सिंह, भाप्रसे (1987) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश, भाप्रसे (1985) वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग केवल प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1 (सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आर. एन. भार्गव, उप संचालक अभियोजन, ग्वालियर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

फा. क्र. 1 (सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रूपकुमार सक्सेना, उप संचालक अभियोजन, जबलपुर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

फा. क्र. 1 (सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुलक्षण कुमार गौड़, उप संचालक अभियोजन, इन्दौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

फा. क्र. 1 (सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एल. एस. कदम, उप संचालक अभियोजन, भोपाल को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, भोपाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल वर्मा, सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 4065-एस.डब्ल्यू.-2012.—मैं, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला कटनी, मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के रिट पिटीशन नं. 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 व दिनांक 29 मार्च 2012 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम सीमा अन्तर्गत कि. मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीम प्रतिवेदानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से, भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये, लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो. या. नियम, 1994 के नियम, 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूँ. जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पचून/अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 11.00 से प्रातः 5.00 बजे तक छूट प्रदान की जाती है. यात्री/स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.

ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

## मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. सह.अधि.-रीडर-2012-681.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 4 मई 2012 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन, राजस्व संभाग, उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्वारा सर्वसधारण को सूचित करें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. सह.अधि.-2012-स्था.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 21 मई 2012 से 15 जून 2012 तक, मैं से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

(2) तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक (बारह दिन) ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे. जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

(3) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

उमरिया, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 1577-एस. डब्ल्यू.-2012.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क-15-99-बी.-3-2), भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2011 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर उमरिया जिले के ग्राम मछेहा, बिछिया, कलौरी, पडेरा, महोबादादर, टकटई, बैरग, कलदा, ईशनपुरा, मझोली, अमवारी, चंगेरा, बधवाटोला एवं पोंडी ग्रामों को थाना पाली के सीमा क्षेत्र से अपवर्जित कर उमरिया जिले के थाना नौरोजाबाद की सीमा अन्तर्गत में सम्मिलित किया जाता है. तदनुसार उपरोक्त सभी 14 ग्राम थाना नौरोजाबाद की सीमा अन्तर्गत सम्मिलित माने जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. एस. भटनागर, पदेन उपसचिव,  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

## मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

मेट्रो प्लाजा (पंचम तल) विट्ठन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 1323-मप्रविनिआ-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 135 की उपधारा (1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती इकाइयों के कनिष्ठ अभियंता या उससे उच्च पद श्रेणी के अधिकारियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत करता है :-

- (क) विद्युत् की चोरी के पता लगाने पर, विद्युत् के प्रदाय का तुरन्त असंयोजन करना;
- (ख) ऐसे असंयोजन के समय से 24 घंटे के अन्दर क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने में ऐसे अपराध के कारित किये जाने से संबंधित परिवाद लिखित करना.

No. 1323-MPERC-2012.—In exercise of powers conferred by sub-section (1A) of Section 135 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby authorizes the officers of the rank of Junior Engineers and higher of MPSEB or its successor entities to carry out the following functions :-

- (a) To disconnect the supply of electricity to the premises upon detection of theft of electricity;
- (b) To lodge a complaint in writing relating to the commission of such offence in police station having jurisdiction within twenty four hours from the time of such disconnection.

आयोग के आदेशानुसार,  
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
विदिशा, दिनांक 24 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 1-भू-अर्जन-11-12-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	सोंठिया गेहूँखेड़ी	0.292 0.126 योग . . 0.418	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विदिशा.	सोंठिया से अहमदपुर मार्ग व्हाया परसौरा मार्ग निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 036-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	देईधर	निजी भूमि 25.57 एवं शासकीय भूमि रकबा 27.72 कुल रकबा 53.29	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 037-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पडरहा	निजी भूमि 57.06 एवं शासकीय भूमि रकबा 33.35 कुल रकबा 90.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 041-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	झबरहा	निजी भूमि 193.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 57.63 कुल रकबा 250.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रामपुर	निजी भूमि 30.13 एवं शासकीय भूमि रकबा 29.19 कुल रकबा 59.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 907-रीडर-1-2012-राजस्व प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	रानापुर	डाबतलाई	0.04 0.45 योग . . 0.49	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, झाबुआ.	पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण परियोजना अंतर्गत मोद नदी पर इन्टेकवेल निर्माण जल शुद्धीकरण यंत्र, भण्डार, चौकीदार क्वार्टर आदि निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 18 अप्रैल 2012

पत्र क्र. 1380-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	देहण्डी	3.05 योग . . 3.05	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की देहण्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. 699-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बम्हौरी चौथ	1.323	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर सम्भाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 795-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नैकिन	0.61	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 797-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) रघुनाथपुर	(4) 1.733	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.-1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 799-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) नैकिन	(4) 0.44	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.-1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 801-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) नैकिन	(4) 3.49	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की शाखा नहर क्र.-3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 803-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) नैकिन	(4) 4.07	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.-1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 805-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) नैकिन	(4) 2.32	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. -1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 808-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) बीरपुर	(4) 1.30	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. -1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 809-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) मझिगवाँ	(4) 0.234	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. -1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 811-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) मऊ	(4) 2.178	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की शाखा नहर क्र.-6 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 558-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12-1693.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	लालपुर	2.805	महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश.	एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड को 2×660 मेगावाट के प्रस्तावित ताप विद्युत् परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. 486-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	जैतपुर	281	0.48	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र.)	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दांया तट नहर के निर्माण हेतु.
			282/2	0.48		
		योग . .	02	0.96		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. कार्यालय करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	ऐमागिर्द	1.245	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण	गुरुद्वारा से ताप्ती हास्पिटल
		बाड़ाबुजुर्ग	1.861	विभाग, बुरहानपुर.	तक सड़क निर्माण.
		तालबागमाल	0.505		
		योग.	<u>3.611</u>		

भू-अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	शादौरा	काँकड़ा	0.195	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	काँकड़ा स्टापडेम कम काँजवे.
				संभाग, अशोकनगर.	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.



क्र. क्यू-भू-अर्जन-125-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	अशोकनगर	सहवाजपुर	110.039	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, (म. प्र.).	बरखेडा छज्जु बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन, अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-126-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	अशोकनगर	सेपरा	0.302	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, (म. प्र.).	सोवत स्टॉपडेम कम काजवे पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 13 अप्रैल 2012

रा. प्र. क्र. 011-अ-82-2011-12-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम प. ह. नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	बहोरीबंद	जुझारी 33/15	1.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, कटनी.	जुझारी कल्हैया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
दमोह, दिनांक 16 अप्रैल 2012

पत्र क्र. क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	पौडी महाराज सींग	4.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.	करारिया जलाशय के बांध एवं नहर क्षेत्र.
दमोह	जबेरा	चौपरा (चंडी)	3.36	-,,-	-,,-
दमोह	जबेरा	जमुनिया	0.58	-,,-	-,,-
कुल योग . .			8.04		

भूमि का नक्शा (स्थान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा (दमोह) एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2011-12-263.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा (4) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन			
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			<b>शीर्ष कार्य निजी भूमि</b>					
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कुकरा	296	3.710	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	कुकरा जलाशय शीर्ष कार्य एवं दांयी व बांयी तट नहर कार्य हेतु.		
		प.ह.नं.	291	1.910				
		111 रा.	288	1.000				
		नि.मं. राई	312	0.920				
			319	1.580				
			307	0.210				
			310	1.360				
			308	1.160				
			290	1.560				
			292	0.820				
			298	0.400				
			301	0.200				
			302	0.200				
			313	1.580				
			319	1.050				
			320	3.100				
		योग शीर्ष कार्य	. .	20.760				
			<b>बाँयी तट नहर</b>					
			205	0.050				
			295	0.680				
			322	2.140				
			294	0.170				
			293	0.030				
			281	0.200				
			259	0.260				
			102	0.160				
			53	0.040				
			269	0.030				
			264	0.130				
			266	0.120				
			267	0.160				
			98	0.060				
			99	0.160				
			101	0.240				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			89	0.140		
			91	0.170		
			87	0.080		
			24	0.140		
			28	0.200		
			33	0.120		
			336	0.080		
			34/2	0.080		
			34/1	0.070		
			47	0.200		
			348	0.100		
			52	0.140		
			6	0.100		
			347	0.090		
			192	0.050		
			191	0.040		
			174	0.040		
			175	0.050		
			191	0.090		
			178	0.050		
			158	0.070		
			153	0.070		
			157	0.100		
			योग बांयी तट . .	<u>6.900</u>		
			दाँयी तट नहर			
			223	0.020		
			324	0.090		
			248	0.350		
			247	0.190		
			228	0.060		
			225	0.110		
			232	0.050		
			335	0.120		
			339	0.180		
			341	0.090		
			343	0.110		
			349	0.070		
			211	0.150		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			209	0.100		
		योग दायी तट . .		1.690		
		कुल योग निजी भूमि . .		29.350		
<b>शासकीय भूमि</b>						
			311			
			309			
			300			
			287			
			283			
			9	1.960		
			332			
			229			
			227			
			337			
			208			
		योग शास. भूमि		1.960		
		कुल अर्जित भूमि		31.310		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 4184-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	दुर्गपुरा	21.832	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	दुर्गपुरा तालाब के डूब एवं वेस्टवियर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		कुल योग . .	21.832		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र.-01-अ-82-2011-12-218.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			सर्वे नम्बर	रकबा		
				(हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	केकडयाखुर्द	कुल कित्ता 16	8.080	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़	केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना (बांध+डूब क्षेत्र).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-02-अ-82-2011-12-220.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			सर्वे नम्बर	रकबा		
				(हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	केकडयाकल्लों	कुल कित्ता 23	15.098	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़	केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना (बांध+डूब क्षेत्र).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-03-अ-82-2011-12-222.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1) गुना	(2) कुंभराज	(3) मानकचौक	(4) कुल किता 34	9.583	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़	(6) केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना (बांध+डूब क्षेत्र).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-04-अ-82-2011-12-224.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1) गुना	(2) कुंभराज	(3) केकडयाखुर्द	(4) कुल किता 14	2.376	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़	(6) केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना. (नहर-प्रणाली).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-05-अ-82-2011-12-226.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है :-

करता

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	कुंभराज	केकडयाकलॉ	कुल किता 08 1.692	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़.	केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना, (नहर-प्रणाली).

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
ग्वालियर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 30-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	पारसेन	10.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु.
कुल योग . .			10.18		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 31-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी



को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुनारपुरा माफी	1.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु.
कुल योग . .			<u>1.49</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 37-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	सूखा पठा	10.126	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	सिंध रमौआ नहर की 2-आर मायनर के निर्माण हेतु.
कुल योग . .			<u>10.126</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 52-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	मकोड़ा	1.060	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
कुल योग . .			<u>1.060</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 54-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	कल्याणी-I	13.803	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
कुल योग . .			<u>13.803</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 55-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	भीमवाड़ा	2.594	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कुल योग . .			<u>2.594</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 56-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	कल्याणी-II	19.363	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
कुल योग . .			<u>19.363</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 31-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	जगतपुर	7.484	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	बछौन	4.170	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर एवं बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर एवं बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	बिलहरी	0.393	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	छठी बम्हौरी	1.000	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की पबई वितरक नहर की छठी बम्हौरी माइनर एवं लुधगांव वितरक नहर की पोखरया माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की पबई वितरक नहर की छठी बम्हौरी माइनर एवं लुधगांव वितरक नहर की पोखरया माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 612-वाचक-प्र. क्र.-28-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता

पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	झापड़ी	2.445	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20, मण्डलेश्वर	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु,

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 636-वाचक-प्र. क्र.-29-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	गुराड़िया	15.506	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20, मण्डलेश्वर	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु,

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 618-वाचक-प्र. क्र.-31-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	गुलाटी	10.752	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 624-वाचक-प्र. क्र.-32-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	रनतलाव	11.769	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 630-वाचक-प्र. क्र.-33-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	देदला	11.145	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

धार, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 641-वाचक-प्र. क्र.-27-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	भैसावद	10.596	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 647-वाचक-प्र. क्र.-30-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	दसवी	10.263	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 673-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	बालीपुर	16.380	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

<p>कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग</p> <p style="text-align: center;">टीकमगढ़, दिनांक 12 मार्च 2012</p> <p>क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—टीकमगढ़</p> <p>(ख) तहसील—टीकमगढ़</p> <p>(ग) नगर/ग्राम—सुनवाहा</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.792 हेक्टर.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">खसरा नं.</th> <th style="text-align: center;">रकबा (हेक्टेयर में)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">(1)</th> <th style="text-align: center;">(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>914</td><td style="text-align: center;">0.250</td></tr> <tr><td>886</td><td style="text-align: center;">0.250</td></tr> <tr><td>885/9</td><td style="text-align: center;">0.090</td></tr> <tr><td>884/1/1</td><td style="text-align: center;">0.190</td></tr> <tr><td>884/12</td><td style="text-align: center;">0.140</td></tr> <tr><td>881/1</td><td style="text-align: center;">0.200</td></tr> <tr><td>852</td><td style="text-align: center;">0.020</td></tr> <tr><td>880</td><td style="text-align: center;">0.050</td></tr> <tr><td>854</td><td style="text-align: center;">0.160</td></tr> <tr><td>855</td><td style="text-align: center;">0.060</td></tr> <tr><td>712</td><td style="text-align: center;">0.140</td></tr> <tr><td>711</td><td style="text-align: center;">0.170</td></tr> <tr><td>691</td><td style="text-align: center;">0.015</td></tr> <tr><td>687</td><td style="text-align: center;">0.015</td></tr> <tr><td>689</td><td style="text-align: center;">0.110</td></tr> <tr><td>690</td><td style="text-align: center;">0.130</td></tr> <tr><td>698</td><td style="text-align: center;">0.080</td></tr> <tr><td>696</td><td style="text-align: center;">0.070</td></tr> <tr><td>697</td><td style="text-align: center;">0.070</td></tr> </tbody> </table>	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	914	0.250	886	0.250	885/9	0.090	884/1/1	0.190	884/12	0.140	881/1	0.200	852	0.020	880	0.050	854	0.160	855	0.060	712	0.140	711	0.170	691	0.015	687	0.015	689	0.110	690	0.130	698	0.080	696	0.070	697	0.070	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">(1)</td><td style="text-align: right;">(2)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">359</td><td style="text-align: right;">0.060</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">699</td><td style="text-align: right;">0.010</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">360</td><td style="text-align: right;">0.010</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">361</td><td style="text-align: right;">0.020</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">362</td><td style="text-align: right;">0.060</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">366</td><td style="text-align: right;">0.200</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">369</td><td style="text-align: right;">0.008</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">425</td><td style="text-align: right;">0.200</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">426</td><td style="text-align: right;">0.060</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">424</td><td style="text-align: right;">0.030</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">420</td><td style="text-align: right;">0.110</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">417</td><td style="text-align: right;">0.140</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">418</td><td style="text-align: right;">0.080</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">419</td><td style="text-align: right;">0.012</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">487</td><td style="text-align: right;">0.070</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">486</td><td style="text-align: right;">0.060</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">488</td><td style="text-align: right;">0.120</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">513</td><td style="text-align: right;">0.220</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">519</td><td style="text-align: right;">0.190</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">517/1</td><td style="text-align: right;">0.200</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">517/2</td><td style="text-align: right;">0.150</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">543</td><td style="text-align: right;">0.130</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">544</td><td style="text-align: right;">0.120</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">542/3</td><td style="text-align: right;">0.180</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">542/4</td><td style="text-align: right;">0.120</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">479</td><td style="text-align: right;">0.010</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">480</td><td style="text-align: right;">0.010</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">879</td><td style="text-align: right;">0.002</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">योग . . .</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4.792</td></tr> </table> <p>(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.</p> <p>(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.</p> <p>क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित</p>	(1)	(2)	359	0.060	699	0.010	360	0.010	361	0.020	362	0.060	366	0.200	369	0.008	425	0.200	426	0.060	424	0.030	420	0.110	417	0.140	418	0.080	419	0.012	487	0.070	486	0.060	488	0.120	513	0.220	519	0.190	517/1	0.200	517/2	0.150	543	0.130	544	0.120	542/3	0.180	542/4	0.120	479	0.010	480	0.010	879	0.002	योग . . .	4.792
खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)																																																																																																						
(1)	(2)																																																																																																						
914	0.250																																																																																																						
886	0.250																																																																																																						
885/9	0.090																																																																																																						
884/1/1	0.190																																																																																																						
884/12	0.140																																																																																																						
881/1	0.200																																																																																																						
852	0.020																																																																																																						
880	0.050																																																																																																						
854	0.160																																																																																																						
855	0.060																																																																																																						
712	0.140																																																																																																						
711	0.170																																																																																																						
691	0.015																																																																																																						
687	0.015																																																																																																						
689	0.110																																																																																																						
690	0.130																																																																																																						
698	0.080																																																																																																						
696	0.070																																																																																																						
697	0.070																																																																																																						
(1)	(2)																																																																																																						
359	0.060																																																																																																						
699	0.010																																																																																																						
360	0.010																																																																																																						
361	0.020																																																																																																						
362	0.060																																																																																																						
366	0.200																																																																																																						
369	0.008																																																																																																						
425	0.200																																																																																																						
426	0.060																																																																																																						
424	0.030																																																																																																						
420	0.110																																																																																																						
417	0.140																																																																																																						
418	0.080																																																																																																						
419	0.012																																																																																																						
487	0.070																																																																																																						
486	0.060																																																																																																						
488	0.120																																																																																																						
513	0.220																																																																																																						
519	0.190																																																																																																						
517/1	0.200																																																																																																						
517/2	0.150																																																																																																						
543	0.130																																																																																																						
544	0.120																																																																																																						
542/3	0.180																																																																																																						
542/4	0.120																																																																																																						
479	0.010																																																																																																						
480	0.010																																																																																																						
879	0.002																																																																																																						
योग . . .	4.792																																																																																																						



भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—टीकमगढ़  
(ग) नगर/ग्राम—नयाखेरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.932 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
368	0.345
374	0.075
365/1	0.155
328	0.195
344	0.049
345	0.327
356	0.055
392/2	0.045
391/2	0.021
390/1	0.080
390/2	0.080
449	0.040
422/1	0.140
422/2	0.140
430	0.615
437	0.080
439	0.190
447	0.020
448	0.190
450	0.035
451	0.055
योग . .	<u>2.932</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—मोहनगढ़  
(ग) ग्राम—खैरा जागीर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.460 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
687	0.020
686/2	0.300
686/1	0.300
688	0.030
689	0.160
690/1	0.020
728/1ख जुज	0.200
728/2	0.200
728/1ख	0.040
727	0.060
724	0.190
719/3	0.140
784/1	0.060
787	0.030
803/2	0.030
801	0.070

(1)	(2)
802	0.070
800	0.150
808	0.030
810	0.030
816	0.110
815	0.080
1027/4	0.140
1027/3	0.140
1027/2	0.140
1027/1	0.100
1020/2	0.110
1020/1	0.080
1012/4	0.020
1012/6	0.080
1012/2	0.140
1039/2	0.030
1039/3	0.060
1047/2	0.140
1049/2	0.140
1050/3	0.030
1027/11	0.150
722/1	0.040
721	0.120
814	0.160
1027/5	0.180
1040/1	0.070
1047/1	0.070

योग . . . 4.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा एवं कार्यपालन यंत्रि सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र.-भू-अर्जन-36(अ-82)2011-12-236—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—डिण्डौरी  
(ग) ग्राम—बालपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.800 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टर में)

(1) (2)

### दायीं तट नहर कार्य

81	0.070
83	0.030
84	0.100
85	0.020
91	0.060
92/1	0.060
93	0.030
94	0.060
95/1	0.040
99	0.030
98	0.070
102	0.070
104	0.040
105	0.100
110	0.020

योग . . . 0.800

### शासकीय भूमि

31, 32, 41, 90, }  
103, 223, 107 } 0.56

शासकीय भूमि—योग . . . 0.56

कुल योग . . . 1.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रकरिया जलाशय योजना के अन्तर्गत दायीं तट नहर कार्य हेतु.	(1)	(2)
	214 में से	0.68
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.	216 में से	0.20
	219/2 में से	0.40
	235/2, 3 में से	0.25
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	220 में से	0.16

## ग्राम—देवदरा

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 5 अप्रैल 2012

37/1 में से	0.09
43/2	0.58
71 में से	0.06
81/3 में से	0.15
योग . .	<u>6.55</u>

प्र. क्र. 13-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—बटियागढ़  
(ग) नगर/ग्राम—फतेहपुर, देवदरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.55 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
----------------------------	--------------------------------------

## ग्राम—फतेहपुर

217	0.50
235/1 में से	0.08
215	0.32
119	0.52
132/1 में से	0.27
132/2 में से	0.26
151	1.13
200/2	0.40
203/1, 2 में से	0.50

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—फतेहपुर जलाशय योजना निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

दमोह, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 1-अ-82 वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत तथा 1894 की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज के प्रयोग करने की अनुमति प्रदान हो जाने व इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—हटा

- (ग) नगर/ग्राम—विनती  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.10 हेक्टेयर.

- (ग) नगर/ग्राम—सारंगपुरा, बेलखेडी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.71 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (में से)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
418/2 में से	0.23
420 में से	0.44
419 में से	0.02
408 में से	0.62
409 में से	0.26
411 में से	0.10
401/1 में से	0.29
401/3 में से	0.14
योग . .	<u>2.10</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—विनती जलाशय योजना की छूटी हुयी भूमि के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 1-अ-82 वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—पटेरा

खसरा नंबर (में से)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178/1 में से	0.51
462/1 में से	0.05
462/3 में से	0.03
459/2 में से	0.02
459/4	0.01
431/6 में से	0.09
योग . .	<u>0.71</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सारंगपुरा जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**स्वतंत्र कुमार सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—सनाई

(घ) अर्जित क्षेत्रफल—5.18 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

264

0.10

265

0.05

672

0.01

678

0.02

266

0.07

605

0.01

606

0.05

608

0.07

630

0.05

607

0.01

721

0.11

622

0.07

623

0.05

625

0.04

626

0.02

627

0.01

631

0.05

651

0.01

653

0.03

723

0.06

654

0.07

1568

0.12

1567

0.15

1569

0.18

1573

0.06

677

0.08

675

0.01

676

0.04

715

0.06

680

0.02

681

0.05

(1)

(2)

720

0.09

722

0.05

903

0.17

724

0.02

737

0.01

901

0.01

904

0.07

906

0.25

921

0.22

907

0.10

917

0.02

1500

0.02

1501

0.02

1503

0.03

1504

0.28

1574

0.05

1570/2

0.07

1571

0.16

1586

0.02

350/1/1

0.12

350/1/2

0.04

351/1/2

0.05

350/2

0.05

350/3

0.05

350/4

0.10

350/5

0.03

351/1/1

0.06

351/1/3

0.16

351/2

0.07

351/3

0.15

351/4

0.06

831

0.12

832

0.01

833

0.14

834

0.15

835

0.11

836

0.10

1564

0.04

1565

0.01

1566

0.02

1572

0.11

1575

0.04

योग : 5.18

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की एल. एम. 1, एल. एम. 2/डी. 8, एस. एम. 1/एल. एम. 3 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया  
(ख) तहसील—दतिया  
(ग) ग्राम—बिल्हारीकला  
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.69 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
633	0.10
634	0.13
640/2	0.30
649	0.15
650	0.06
653	0.12
654	0.06
669	0.26
663/1	0.01
663/2	0.02
664	0.14
666	0.01
667/2	0.25
667/3	0.05
670	0.03
योग :	1.69

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की एल. एम. 3/डी. 8, एस. एम. 1/एल. एम. 3 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. 04-अ-82-वर्ष 2010-11-पत्र क्रमांक 675-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 692-एक-1-116-2011, जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील— . . . .  
(ग) ग्राम—कमती  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.392 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10/1	0.016
10/3	
11/2	0.053
11/1	0.194
11/3	0.219
11/4	0.301
11/5	0.105
15	0.251

(1)	(2)	(1)	(2)
18	0.340	93/2	0.198
34/1	0.413	93/4	0.174
35/1	0.146	93/1	0.239
35/2	0.024	93/3	0.089
17/1	0.170	136/2	0.753
11/6	0.055	94/5, 94/20, 94/21	1.762
17/2	0.105		
			योग . . . 6.745

योग : 2.392

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 07-अ-82-वर्ष 2010-11-पत्र क्रमांक 674-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 692-एक-1-116-2011, जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील— . . . .  
(ग) ग्राम—छोटा छिन्दवाड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.745 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
177/1, 178	0.790
149/4, 151/2	0.666
152/7	0.259
152/2	0.045
149/3, 150, 151/1, 152/1	0.731
142/1	0.551
149/10	0.105
149/2/1	0.010
92/1	0.373

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 288-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—देवसर  
(ग) ग्राम—बरका  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.73 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
395/1	0.24
397	0.04
780	0.02
781/1	0.01
782	0.07
798	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
803	0.03	1004	0.24
804	0.01	1079	0.04
805	0.02	1165/1/1	0.12
806	0.02	1208	0.08
807	0.06	1209/1	0.03
816	0.05	1209/2	0.02
818/1	0.05	1223	0.01
818/2	0.05	1224/1	0.04
818/3	0.05	1224/2	0.04
823	0.01	1225	0.14
839	0.03	1242	0.08
844	0.05	1290/1	0.01
846	0.01	1291	0.01
848	0.02	1292	0.01
849	0.02	1294	0.01
851	0.03	1295	0.01
858/1	0.05	1297	0.03
852	0.02	1298	0.03
859	0.02	1300	0.02
860	0.06	1304	0.08
902	0.04	1305	0.01
903	0.03	1306	0.03
907/1	0.02	1310/2	0.07
907/2	0.02	1317/2	0.03
908/1	0.05	1322	0.01
908/2	0.05	1323	0.02
909	0.01	1324	0.01
961/1/1	0.03	1325	0.02
963	0.11	1326	0.02
964	0.07	1330	0.04
967/1/1	0.14	1331/1	0.02
968	0.13	1332	0.01
971/1	0.05	1333	0.03
971/2	0.04	1341	0.01
980	0.08	1366	0.05
981/1	0.03	1387/1	0.04
982	0.17	1389	0.02
985	0.08	1400	0.07
990	0.26	1401	0.06
996	0.25	1405	0.04
997	0.05	1408	0.04
998	0.1	1409	0.02
1000/1	0.06	1410	0.02
1000/2	0.06	1411	0.03
1002	0.4	1412	0.04
1003	0.06	1462	0.01



(1)	(2)	(1)	(2)
1505	0.05	2161/1	0.02
1506	0.03	2161/2	0.01
1621	0.01	2162	0.02
1622	0.01	2163	0.02
1623	0.01	2164	0.03
1808	0.04	2167/2	0.06
1809	0.01	2168	0.08
1811	0.02	योग . .	<u>6.73</u>
1812	0.01		
1815	0.09	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरका	
1816	0.04	मेन नहर एवं माइनर नहर हेतु.	
1820	0.03	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन	
1821	0.03	अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
1822	0.01		
1840	0.02	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
1841	0.02	एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
1843	0.03		
1849	0.02	कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	
1860	0.03	बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं	
1866	0.05	पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
1867/1	0.01		
1867/2	0.01		
1868/1	0.02	रीवा, दिनांक 11 अप्रैल 2012	
1868/2	0.02		
1868/3	0.02	क्र. 744-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस	
1868/4	0.01	बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)	
1869/1	0.01	में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
1869/2	0.01	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	
1877	0.02	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के	
1878	0.04	अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि	
1879	0.01	पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
1880	0.01		
1885	0.01	अनुसूची	
1886	0.02	(1) भूमि का वर्णन—	
1887	0.03	(क) जिला—रीवा	
1888	0.01	(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान	
1889	0.01	(ग) नगर/ग्राम—पैपखरा	
1896	0.03	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.049 हेक्टेयर (छूटे हुए).	
1897	0.04		
1958/1	0.01	खसरा नं.	रकबा
2109/1	0.03		(हेक्टर में)
2111/1	0.03	(1)	(2)
2112	0.03		
2114	0.03	170/4	0.037
2118	0.06	171	0.012
2152	0.11	योग . .	<u>0.049</u>
2153	0.03		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 787-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—कबरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.140 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
53	0.283	0.060
95	0.579	0.080
योग . .		0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 789-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—पटेहरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.498 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
23/1	0.676	0.028
23/2/2	0.083	0.020
63/2	0.405	0.060
81	0.656	0.040
82/2	0.102	0.028
83/2	0.455	0.044
22/5	0.086	0.032
610/1	0.658	0.485
579/2	0.016	0.016
580	0.145	0.101
581	0.178	0.120
69	0.628	0.101
71	0.615	0.101
442	0.781	0.110
837/2	0.052	0.020
838	2.08 डि.	0.036
837/1	0.79 डि.	0.156
योग . .		1.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 791-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम— डिहिवा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.101 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
120	0.259	0.061
121	0.150	0.040
योग :		0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 793-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—बगढ़ा 338

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.152 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
123	0.036	0.032
348	0.172	0.120
योग :		0.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 813-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—चुरहट  
(ग) ग्राम—टकटैया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.07 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2468	0.03
2522	0.04
योग (अ)	
0.07	

#### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक	निरंक
योग (ब)	-
महायोग (अ+ब)	0.07

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा=0.07 हे.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा=निरंक	(1)	(2)
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा=0.07 हे.	31	0.04
	714/2	0.45
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.	714/5	0.05
	714/6	0.28
	714/13	0.07
	722/1-2-3-4	0.15
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	719	0.02
	720	0.01
	721	0.22
		<u>कुल रकबा . . . 2.54</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 12 अप्रैल 2012

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12-भू. अ. अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—बहोरीबंद  
(ग) ग्राम—जुझारी, कैमोरी प.ह.नं. 33/15  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.54 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
01/811	0.21
02	0.01
04	0.10
05	0.20
18	0.13
15/1	0.05
15/2	0.10
15/3	0.07
16/1	0.10
16/2	0.11
81	0.12
28	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—जुझार कल्हैया जलाशय नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 12 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 17-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—त्योंदा  
(ग) ग्राम—कजरई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.628 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110/1	0.260
110/2	0.026

108/1	0.020	(1)	(2)
108/3/1	0.010	3/3क	0.075
108/3/2	0.010	3/8	0.025
108/3/3	0.018	3/3/3	0.075
36/1/2	0.030	3/4	0.010
36/2क	0.014	योग :	<u>0.844</u>
36/2ख	0.010		
55/1/1	0.037		
55/3/2	0.091		
55/3/1	0.102		
योग :	<u>0.628</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्रि जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा	
(ख) तहसील—त्योंदा	
(ग) ग्राम—छेवला	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.844 हेक्टेयर.	
सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/2/1	0.085
23/1/2	0.070
13/1	0.170
14	0.064
3/5/2	0.102
15/2/3	0.084
3/5/1	0.084

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—त्योंदा  
(ग) ग्राम—खामखेड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.501 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
389/3	0.072
389/2	0.065
383/1	0.030
383/2	0.104
382/2/2	0.133
384/2	0.010
396/1	0.036
397/1/1	0.097
397/2/2	0.100
386/3	0.075
386/2	0.010
399/1/1	0.046
399/1/3	0.046
378/1क	0.140

(1)	(2)
378/1ख	0.140
377/1क	0.018
377/1ख	0.122
376/13क	0.108
403/1/2	0.040
403/1/3	0.030
403/1/6	0.030
403/1/7	0.030
403/1/8	0.074
403/2	0.100
9/2	0.133
9/1	0.133
9/3	0.097
4/2	0.047
274	0.010
273	0.039
275	0.010
276/1	0.093
278	0.104
279	0.018
177/2	0.079
155/1	0.108
44/2	0.223
44/1	0.194
130/2	0.080
124/1	0.015
124/2	0.126
101/1ख	0.077
91 ]	0.169
100/1 ]	
94/2	0.054
942ख	0.036
योग :	<u>3.501</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की

बघरूँ मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—त्योँदा  
(ग) ग्राम—रूपेटी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.330 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113/1/3	0.091
115/1	0.100
128	0.030
129/2	0.018
127/1	0.182
124/1	0.075
124/2	0.075
82/2/1	0.010
81/1	0.090
80/1	0.040
80/2	0.105
75	0.200
74/2	0.175
80/4	0.046
43	0.144
42/2/2	0.162
42/1क	0.054
40/2	0.068
41/1	0.061
21/1	0.010
21/2	0.080
22/1	0.150
22/123	0.066
5/1	0.025
5/2	0.025
5/3	0.043
3	0.205
योग :	<u>2.330</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

लखनादौन, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. 893-कलेक्टर-भू.अ.-2012-1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—छपारा  
(ग) ग्राम—खापा, प.ह.नं. 24  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.47 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
285	0.37
282/3	0.30
282/2	0.80
योग . .	1.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन के कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 891-कलेक्टर-भू.अ.-2012-2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि

की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—छपारा  
(ग) ग्राम—गोरखपुर, प.ह.नं. 23  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
215	0.18
218	2.11
योग . .	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-1, सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अजीत कुमार**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 4-अ-82-09-10-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—जबलपुर

- (ग) ग्राम—ग्वारीघाट न. बं. 603, प.ह.नं. 2  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.133 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53/1	0.015
56	0.032
63/1	0.017
63/2	0.014
64	0.030
65	0.008
66/1	0.007
66/2	0.005
66/3	0.005
योग . .	<u>0.133</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खारीघाट से सांई धाम तक प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु,  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 520-प्र.क्र. 8-अ-82-2010-11-1749.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—शहडोल  
(ख) तहसील—ब्यौहारी

- (ग) ग्राम—बुड़वा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.065 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
422/1ख	0.065
योग . .	<u>0.065</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु ग्राम बुड़वा की 0.065 हेक्टर निजी भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. 595-वाचक-प्र.क्र. 17-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—सिरसाला (पूरक)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.360 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (निजी)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
162/1	0.360
योग . .	<u>0.360</u>



- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 138630 मी. पर नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 603-वाचक-प्र.क्र. 18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—एहमदपुर (पूरक)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.216 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
71/3	0.026
71/2/1/2	0.130
129/1/2	0.050
129/2	0.010
योग . .	<u>0.216</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. डी. व्हाय 12 की वितरण नहर के अन्तर्गत आर.डी. 800 से 3600 मी. तक एवं उपनहर एम. एल. 1 के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 21-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर  
(ग) ग्राम—दुबहाटांका  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.208 हेक्टेयर.

सर्वे नं. (1)	कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) (3)
206	0.170	0.020
207	0.830	0.070
95	0.360	0.066
92	0.650	0.115
93	0.350	0.004
89	0.340	0.027
90	0.390	0.045
87	0.500	0.072
88	0.760	0.087

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
247	0.530	0.005	1952/3	0.190	0.033
081	1.000	0.133	1952/4	0.190	0.033
80	0.170	0.030	1950	1.190	0.126
79	1.060	0.087	1927	0.280	0.055
589	0.200	0.036	1929	0.300	0.019
590	0.430	0.072	96	1.190	0.180
602	0.180	0.066	97	0.400	0.060
598	0.240	0.005	31	1.380	0.190
600	0.160	0.012	32	0.520	0.005
601	0.060	0.036	30	0.410	0.053
609	0.470	0.072	27	0.440	0.061
612	0.650	0.003	28	0.400	0.072
611	0.290	0.007	26	0.490	0.109
610	0.200	0.095	24	0.900	0.022
597	0.600	0.110	25	0.470	0.120
614	1.590	0.114	373	0.880	0.080
618	0.790	0.078	375	0.610	0.081
619	0.400	0.048	376	0.990	0.240
620	0.360	0.129	387	0.580	0.053
1538	0.270	0.054	390	0.200	0.94
1537	0.120	0.015	391	0.620	0.140
1505	0.330	0.018	393	0.390	0.090
1507	0.460	0.066	392	0.380	0.110
1508	0.280	0.042	394	0.320	0.070
359	0.520	0.030	478/2	0.400	0.120
360	0.470	0.072	480	0.780	0.144
519	0.760	0.063	481	0.710	0.168
520	0.510	0.036	482	0.720	0.002
521	1.280	0.079	477	1.140	0.022
517	0.280	0.006	476	0.610	0.120
511	0.910	0.185	475	0.280	0.080
524	0.520	0.090	1657	1.060	0.005
525	0.260	0.042	1665	0.850	0.220
526	0.430	0.015	1664	0.600	0.070
1585	0.430	0.135	1666	0.510	0.040
1575/1	0.150	0.043	1661	0.770	0.170
1575/2	0.160	0.043	1740	0.630	0.074
1584	0.290	0.022	1742	1.120	0.220
1576	0.800	0.216	1738	1.460	0.100
1577	0.180	0.028	1753	0.560	0.032
1578	0.190	0.049	1754	0.840	0.154
1580	0.880	0.126	1768	0.540	0.055
1952/1	0.400	0.066	1769	0.380	0.095
1952/2	0.040	0.066	1770	0.450	0.064
			1772	0.440	0.045

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1771	0.630	0.135	799	3.490	0.059
1777	0.740	0.144	820	1.682	0.102
1776	0.270	0.024	800 Min	0.941	0.161
1846	0.830	0.036	801	3.115	0.340
1847	0.680	0.152	794	1.369	0.042
1832	1.020	0.136	1062	0.575	0.110
1849	0.670	0.136	1059	1.327	0.173
1862	0.210	0.032	1063	1.787	0.048
1964	1.040	0.036	1964 Min	1.160	0.170
1963	0.377	0.140	1064 Min	1.045	0.170
	योग . .	<u>8.208</u>	691	0.596	0.144
			701	2.028	0.027
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.			700	0.386	0.108
			699	0.679	0.151
			697 Min	0.418	0.079
			696	0.251	0.094
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.			646	0.105	0.022
			633	0.439	0.137
			634	0.094	0.029
			630 Min	0.178	0.007
प्र. क्र. 22-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			631	0.178	0.043
			629	0.386	0.101
			748/1	1.345	0.022
			746	1.129	0.187
			745 min	0.627	0.086
			744	0.972	0.202
			742	0.658	0.130
			734	0.136	0.091
			735	0.345	0.007
			736 min	0.476	0.109
(1) भूमि का वर्णन—			736 min	0.475	0.109
(क) जिला—ग्वालियर			885	0.567	0.121
(ख) तहसील—चीनौर			883	0.919	0.166
(ग) ग्राम—पिपरौआ			884	0.919	0.091
(घ) क्षेत्रफल —12.504 हेक्टेयर.			882	0.544	0.043
सर्वे नं.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने	866	2.905	0.216
	(हेक्टेयर में)	वाला अनुमानित	864	1.003	0.122
		रकबा (हेक्टर में)	863	0.031	0.029
(1)	(2)	(3)	861	0.836	0.079
784	0.983	0.212	1035	2.382	0.115
782	2.330	0.031	1038	0.543	0.151
785	1.139	0.182	1039	0.898	0.158
822	0.836	0.178	1040	1.316	0.072
821	0.836	0.127	1070/1	0.663	0.124
			1070/2	0.664	0.124

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1071	0.941	0.094	61 min	0.094	0.017
1074 min	1.045	0.115	62 min	0.627	0.032
1074 min	1.045	0.115	62 min	0.209	0.041
1077 min	1.463	0.158	62 min	0.418	0.085
1077 min	0.334	0.158	63	1.024	0.049
1136	1.976	0.158	151	0.125	0.046
1144	1.160	0.209	185	4.066	0.407
1145	1.171	0.158	192	2.779	0.360
1151	0.627	0.130	10		0.804
1150	0.627	0.151	23		0.097
1068	0.105	0.036	57		0.707
1149	0.669	0.014		योग . .	12.504
1153	1.545	0.014			
1154	1.035	0.238	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन हेतु.	
1155	1.086	0.144	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1156 min	1.150	0.108			
1156 min	0.166	0.108			
1219 min	6.803	0.252			
1216	1.922	0.324			
1215	2.194	0.094			
27	0.314	0.015			
28	0.240	0.015			
29	0.710	0.203			
34	0.919	0.105			
36	0.240	0.145			
37	1.327	0.060			
32/1	0.616	0.040			
32/2	1.181	0.042			
44	0.668	0.013			
46	0.679	0.048			
47	0.314	0.032			
53	0.428	0.110			
54/2	0.239	0.057			
54/3	0.063	0.063			
56 min	0.209	0.045			
56 min	0.157	0.045			
58	0.345	0.052			
59/1	0.418	0.119			
59/2	0.418	0.119			
59/3	0.209	0.021			
60	0.418	0.015			
61 min	0.251	0.067			
61 min	0.188	0.033			
61 min	0.094	0.017			
			सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टेयर में)
			(1)	(2)	(3)
			3/1 Min-4	0.291	0.115
			27	4.128	0.418
			28/2	0.627	0.004
			26 Min-2	0.423	0.065

प्र. क्र. 23-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर  
(ग) ग्राम—छिदा  
(घ) क्षेत्रफल—1.596 हेक्टेयर.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
26 Min-1	1.504	0.126	50/1 Min 1	0.262	0.029
25	1.585	0.166	50/1 Min 2	0.261	0.028
24 Min-1	0.669	0.058	50/1 Min 3	0.261	0.028
24 Min	0.878	0.058	50/1 Min 4	0.261	0.028
10/2 Min 2	1.275	0.310	50/2	0.209	0.028
22/4 Min	2.466	0.240	59	0.230	0.113
49	0.742	0.016	60	0.931	0.022
20 Min 6	0.209	0.020	38	1.860	0.148
	योग . .	<u>1.596</u>	39 Min 1	0.419	0.028
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.			39 Min 2	0.419	0.029
			39 Min	1.150	0.029
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.			41 Min 3	0.739	0.087
			41 Min 1	0.738	0.087
			40	0.732	0.026
			27	1.359	0.216
			9/1	0.941	0.079
प्र. क्र. 24-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			9/2	0.627	0.079
			6	1.850	0.244
			5	2.518	0.230
			4	1.359	0.100
				योग . .	<u>2.388</u>

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
 (ख) तहसील—चीनौर  
 (ग) ग्राम—देवरीटांका  
 (घ) कुल लगभग—2.388 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
34	0.230	0.019
35	1.944	0.270
36	0.921	0.105
37	0.617	0.090
48/1 Min-1	0.820	0.123
48/ Min 2	0.821	0.123

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
 (ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—दुबहाटांका  
(घ) कुल क्षेत्रफल—1.446 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—मेंहगांव  
(घ) कुल क्षेत्रफल—7.571 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)	सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2550	0.15	0.060	1391	1.766	0.357
2551	0.24	0.087	1393	0.679	0.167
2553	1.20	0.175	1443 मिन	3.972	0.631
2559	0.64	0.085	1444	0.543	0.140
2560	0.66	0.085	1439	3.427	0.503
2561	0.65	0.087	1456	2.362	0.011
2565	0.73	0.150	1459	1.150	0.052
2566	0.34	0.092	1460	0.784	0.289
2570	1.95	0.215	1461	0.595	0.034
2573	0.20	0.057	1462	0.512	0.225
2574	0.35	0.025	1466	0.658	0.034
2576	0.34	0.130	1469	0.721	0.005
2577	0.35	0.028	1470	1.631	0.267
2594	1.22	0.170	957	0.867	0.22
		योग . .	949 मिन	0.921	0.125
		<u>1.446</u>	947	0.742	0.130
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.			942 मिन	0.794	0.125
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.			943	0.658	0.106
			944	3.417	0.257
			932	1.349	0.160
			933	0.127	0.003
			927 मिन	0.293	0.010
			926	0.627	0.160
			925	0.795	0.213
			919	0.898	0.176
			918	0.376	0.020
			877	1.651	0.045
			878	0.418	0.064
			879	1.264	0.136
			1050	0.460	0.062
			1051	1.097	0.110
			1026	1.860	0.137
			1134	0.272	0.049
			1133	0.418	0.062
			1132	0.533	0.070
			1142	0.178	0.005
			1143	0.543	0.073
			1141	0.951	0.085

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—श्यामपुर (घ) क्षेत्रफल—0.674 हेक्टेयर.		
1149	0.449	0.051			
1150	0.502	0.088	सर्वे नं.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने
1151	0.921	0.032		(हेक्टेयर में)	वाला अनुमानित
1152 मिन	1.692	0.191			रकबा (हेक्टेयर में)
1166	0.930	0.181	(1)	(2)	(3)
1163	0.178	0.037	2	1.829	0.078
1160	0.658	0.077	12	1.505	0.197
1321	1.223	0.082	13	1.004	0.065
1323	1.390	0.024	14	1.181	0.077
1324	0.345	0.051	15 मिन	1.192	0.257
1332 मिन	1.756	0.135		योग . .	<u>0.674</u>
1331 मिन	1.703	0.160			
1345	1.275	0.166	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.	
1344 मिन	1.024	0.135	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1343	0.920	0.078		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
1364 मिन	0.585	0.072			
1365	0.617	0.048			
1366	3.386	0.150			
1367	1.171	0.155			
1389	2.006	0.327			
1390	0.052	0.013			
	योग . .	<u>7.571</u>			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 4176-भू-अर्जन-2012-ब्यावरा.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम—1. मोतीपुरा, 2. खरेटियाखुर्द	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.278 हेक्टेयर.		
	292/65	0.025
सर्वे नं.	292/71	0.090
	292/68	0.230
(1)	292/73	0.480
		<u>योग : 1.137</u>

## ग्राम—मोतीपुरा

163/1	0.039
230/1	0.032
	<u>योग : 0.071</u>

## ग्राम—खरेटियाखुर्द

143/1/3/1	0.087
143/2/1	0.120
	<u>योग : 0.207</u>

## ग्राम—बरूखेड़ी

121/32	0.136
121/33	0.150
121/35	0.090
121/43	0.320
	<u>योग : 0.696</u>
	<u>कुल योग : 1.833</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मोतीपुरा तालाब के नहर निर्माण के कार्य हेतु शेष बची भूमि में छूटी हुई भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कटारमल तालाब की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4181-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—खिलचीपुर
- (ग) ग्राम—मेहराजपुरा, बरूखेड़ी
- (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.833 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल
	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)

## ग्राम—मेहराजपुरा

292/16	0.312
--------	-------

क्र. 4185-भू-अर्जन-7.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—खिलचीपुर
- (ग) ग्राम—रूगनाथपुरा, चुवाड़ल्या एवं प्रेमपुरा
- (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.058 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)

## ग्राम—रूगनाथपुरा

25	0.120
29	0.140
30	0.050
39	0.012



(1)	(2)	(ग) ग्राम—भूमरिया, हरिपुरा एवं नयापुरा (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—25.642 हेक्टेयर.
169/78	0.060	खसरा नम्बर
31	0.068	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
126/78	0.080	(1) (2)
130/78	0.036	
	<u>योग : 0.566</u>	<b>ग्राम—भूमरिया</b>
<b>ग्राम—चुवाड़लिया</b>		435/1/2 0.253
		435/1/3 0.175
49/3/3	0.024	436/2 0.180
84/49	0.024	437 0.220
	<u>योग : 0.048</u>	414/1 0.020
<b>ग्राम—प्रेमपुरा</b>		414/2 0.120
		68 0.040
151/1	0.132	23 0.080
151/2	0.012	63 0.070
151/3/1	0.056	64 0.050
151/3/2	0.056	69/1 0.020
152	0.188	69/2 0.025
	<u>योग : 0.444</u>	70/1/1 0.044
	<u>महायोग : 01.058</u>	70/1/2 0.013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रघुनाथपुरा सिंचाई योजना, तहसील खिलचीपुर की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.		77 0.080
		79 0.140
		86 0.012
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		87 0.040
		91 0.192
		92 0.040
		318 0.130
		161 0.104
		149 0.140
		159 0.112
		156/1 0.114
		156/2 0.057
		155/1 0.040
		155/2 0.040
		150 0.096
		152 0.168
		145/2 0.168
		144 0.140
		139 0.120
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		
(क) जिला—राजगढ़		
(ख) तहसील—खिलचीपुर		

(1)	(2)	(1)	(2)
138	0.101	166	0.076
140	0.220	171	0.152
464	0.060	172	0.056
462	0.080	366	0.080
474/13	0.051	368	0.116
458	0.012	369/1	0.028
459	0.152	378	0.280
460	0.060	379/1	0.024
70/2	0.090	454/392	0.070
योग ग्राम भूमरिया : 5.494		369/2	0.028
ग्राम—नयापुरा		391/2	0.072
62	0.120	388	0.112
63/1	0.190	386/1/1	0.016
61	0.032	436/392	0.025
63/2	0.020	396	0.168
योग ग्राम नयापुरा : 0.362		80	0.025
ग्राम—हरिपुरा		389	0.072
14/3/6	0.290	योग ग्राम हरिपुरा : 2.184	
14/3/8	0.190	कुल रकबा : 8.531	
14/3/9	0.260	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भूमरिया तालाब के वेस्टवियर एवं नहर के निर्माण हेतु.	
14/3/10	0.250	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिचलीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
14/3/14	0.040	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
14/3/15	0.020	एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
86/3	0.072	कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
84/1/4	0.060	खरगौन, दिनांक 18 अप्रैल 2012	
391/2	0.192	क्र. 545-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	
82	0.040		
390	0.072		
416/392	0.170		
79	0.080		
77	0.012		
63	0.128		
167	0.160		
375	0.148		
64	0.192		
374	0.140		
65	0.024		
157	0.160		

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगौन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—चंदनपुरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—वनभूमि रकबा 1.491 हेक्टेयर (वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हितग्राहियों की).

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232	0.350
234	1.141
योग :	1.491

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगौन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगौन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 546-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगौन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—सैलानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—वनभूमि रकबा 0.393 हेक्टेयर (वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हितग्राहियों की).

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217	0.088
217	0.305
योग :	0.393

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगौन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगौन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 547-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगौन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—जामला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—वनभूमि रकबा 1.125 हेक्टेयर (वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हितग्राहियों की).

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.155
96	0.300
96	0.180

(1)	(2)
96	0.420
96	0.070
योग : 1.125	

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 548-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—बड़वाह  
(ग) ग्राम—भिखारखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.785 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56/1	0.050
56/3	0.385
56/4	0.350
57/2	1.000
योग : 1.785	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 1382-भू-अर्जन-2012- रा.प्र.क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद  
(ग) ग्राम—देहण्डीबडी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.23 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेर में)
(1)	(2)
304	0.17
305	0.05
336/1	0.05
336/2	0.32
343	0.35
345	0.37
346	0.05
359	0.08
360	0.22
364/2	0.05
365	0.32
382	0.10

(1)	(2)	उद्घोषणा में पुनः संशोधित सही रकबा कालम नं. 6 में पढ़ा जायें.
383/1	0.12	अनुसूची
383/2	0.14	(1) भूमि का वर्णन—
384/1	0.15	(क) जिला—झाबुआ
384/2	0.05	(ख) तहसील—पेटलावद
385	0.05	(ग) ग्राम—मोर
389	0.17	अ.क्र
390	0.13	पूर्व में प्रकाशित
392	0.06	सर्वे नम्बर
393/1	0.07	रकबा
393/2	0.16	संशोधित रकबा
योग :	3.23	सर्वे नम्बर सही रकबा
		(1) (2) (3) (4) (5) (6)
		1 910/2 0.02 विलोपित 910/2 0.01
		2 908 0.20 विलोपित 908 0.02
		3 909 0.11 विलोपित 909 0.20
		4 1320 0.03 विलोपित 1320 0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नहर-1 के निर्माण होने से ग्राम देहण्डीबडी की निजी भूमि का कुल रकबा 3.23 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### संशोधित उद्घोषणा

क्र. 1386-भू-अर्जन-2012-माही-रा.प्र.क्र. 22-अ-82-10-11.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1329/भू-अर्जन-2010/झाबुआ, दिनांक 31 मई 2011 द्वारा ग्राम बाछीखेड़ा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 5.86 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक के पृष्ठ क्रमांक 1767, दिनांक 20-5-11 पर तथा हिन्दी समाचार-पत्र नईदुनिया में दिनांक 13-5-11 एवं प्रसारण में दिनांक 15-5-11 को जी नम्बर 12998/11 द्वारा प्रकाशित की गई है. प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जानी है:—

### अनुसूची

क्र. 1384-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र. 19-अ-82-10-11.—इस कार्यालय की उद्घोषणा क्रमांक 1660-भू-अर्जन-2011-झाबुआ, दिनांक 25 मई 11 के अनुक्रमांक 10, 11, 12 एवं 13 में अंकित सर्वे नम्बरों का रकबा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 जून 2011 एवं समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 10 जून 2011 तथा राज एक्सप्रेस में दिनांक 10 जून 2011 में—

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)	
	पूर्व प्रकाशित	संशोधित प्रकाशन
(1)	(2)	(3)
2178	0.10	विलोपित
1615/1	0.16	0.16
1586	0.10	0.10
2297 पै.	0.06	0.06
1147	0.11	0.11
1148	0.06	0.06
1150/2	0.06	0.06
2279	0.24	विलोपित
2279	0.16	विलोपित

सर्वे नम्बर	रकबा
910/2	0.02
908	0.20
909	0.11
1320	0.03

का रकबा त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है. जिसे विलोपित कर निम्नानुसार

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)			
1587/2	0.22	0.22	720	-	0.19			
2235	0.36	0.36	721	-	0.06			
2247	0.16	0.16	722	-	0.05			
2295/1पै.	0.06	0.06	723/2/2	-	0.02			
2246	0.37	0.37	724/1	-	0.02			
2158/2	0.16	विलोपित	724/2	-	0.22			
1587/1	0.16	0.16	725/1	-	0.09			
1639	0.16	0.16	725/2	-	0.05			
2180	0.47	विलोपित	726	-	0.08			
2232	0.11	0.11	761/1	-	0.24			
2245	0.04	0.04	760	-	0.19			
2133	0.22	विलोपित	योग : 5.86		4.14			
2231	0.08	विलोपित	ज्ञाबुआ, दिनांक 19 अप्रैल 2012					
2158/1	0.21	विलोपित						
791	0.15	विलोपित	संशोधन-पत्र					
792	0.35	विलोपित						
793	0.12	विलोपित	क्र. 1405-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र. 02-अ-82-2010-11— भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-10-11.—ग्राम करवड़ कृषि भूमि पटवारी हल्का नं. 10, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के संशोधन-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 (साधारण) के पृष्ठ क्र. 416-417 दिनांक 10 फरवरी 2012 को हुआ है. जिसमें निम्नलिखित पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावे :-					
795	0.30	विलोपित						
796	0.05	विलोपित						
805	0.06	विलोपित						
809	0.35	विलोपित						
811	0.15	विलोपित						
816	0.50	विलोपित						
2055	-	0.15				अनुसूची		
2059	-	0.10						
2142	-	0.05				(1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—झाबुआ (ख) तहसील—पेटलावद (ग) ग्राम—करवड़		
2381	-	0.06						
711	-	0.02						
712	-	0.02	निजी भूमि					
713	-	0.03						
715/1	-	0.02	पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां	संशोधित/नवीन प्रविष्टियां				
715/2	-	0.04	सर्वे अर्जित भूमि	सर्वे अर्जित भूमि				
715/3	-	0.02	नम्बर का रकबा	नम्बर का रकबा				
716	-	0.12	(1)	(2)	(3)			
718/1	-	0.03	1759/2	0.05	1759/3			
718/2	-	0.03			0.05			
718/3	-	0.03	नोट :- पूर्व में प्रकाशित शेष सभी प्रविष्टियां यथावत रहेंगी. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.					
718/4	-	0.01						
719/4/1	-	0.01						

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 577-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—खरगोन  
(ग) ग्राम—बगुद  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.103 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
268/2/2	0.124
270/2/2	0.105
270/1/1	0.030
268/1/1	0.086
268/1/2	0.020
430/2	0.150
419	0.022
439	0.090
268/2/1	0.256
270/2/1	0.115
269/2/2	0.231
269/3/3	0.304
331/2, 331/3	0.303
335/2	0.081
337/3	0.278
338/1	0.850
397/2	0.058

योग : 3.103

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—नंदगांव तालाब योजना के डूब क्षेत्र के मार्ग एवं स्पील चैनल के मटेरियल डम्पिंग हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरगोन, कार्यपालन यंत्रि जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 3123-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—उज्जैन  
(ख) तहसील—उज्जैन  
(ग) ग्राम—कस्बा उज्जैन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.557 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
	ग्राम—कस्बा उज्जैन
654	0.137
653, 656, 657	0.042
658	0.015
659	0.157
660	0.052
661	0.015
662	0.045
666/1 मी.	0.078
667	0.021
कुल रकबा योग . .	0.557

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कबीर घाट हेतु निजी भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.